ISSN : 2347-7660 (Print) | ISSN : 2454-1818 (Online)

भारत में कन्या भ्रुण हत्या–एक ज्वलंत और शोचनीय मुद्दा

Dr Sunita Palawat,

Lecturer (Economic), Government College, Kaladera (Jaipur)

शोध सारांश

केवल एक लड़की होने की वजह से उसका समय पूरा होने के पहले ही कोख में एक बालिका भ्रूण को खत्म करना ही कन्या भ्रूण हत्या है ।

ऑकडों के अनुसार, ऐसा पाया गया है कि पुरूष और महिला लिंगानुपात 1961 में 102.4 पुरूष पर 100 महिला, 1981 में 104.1 पुरूषों पर 100 महिला, 2001 में 107.8 पूरूषों पर 100 महिला और 2011 में 108.8 पुरूषों पर 100 महिला हैं । ये दिखाता है कि पुरूष का अनुपात हर बार नियमित तौर पर बढ रहा है । भारत में वहन करने योग्य अल्ट्रासाउंड तकनीक के आने के साथ ही लगभग 1990 के प्रारंभ में ही कन्या भ्रूण हत्या शुरूआत हो चूकी थी ।

भारत में 1979 में अल्ट्रासाउंड तकनीक की प्रगति आयी हालांकि इसका फैलाव बहुत धीमें था । लेकिन वर्ष 2000 में व्यापक रूप से फैलने लगा । इसका आकलन किया गया कि 1990. से, लड़की होने की वजह से 10 मिलियन से ज्यादा कन्या भ्रूणों का गर्भपात हो चुका है । हम देख सकते हैं कि इतिहास और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या किया जा रहा है । पूर्व में, लोग मानते हैं कि बालक षिषु अधिक श्रेष्ठ होता है क्योकि वो भविष्य में परिवार के वंष को आगे बढोने के साथ ही हस्तचालित श्रम भी उपलब्ध करायेगा । पुत्र को परिवार की संपति के रूप में देखा जाता है जबकि पुत्री को जिम्मेदारी के रूप में माना जात है । यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और शोचनीय भी ।

शोधपत्र

जीना तो पहले से ही दूभर था और धन्य है ये वैज्ञानिक विकास (सोनोग्राफी) जिसने अब स्त्री से उसका जन्म लेने का अधिकार भी छीन लिया ।

आज इक्कीसवीं सदी के पन्द्रहवें वर्ष (2015) में जब सरकार को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं अभियान आरंभ करना पड़ता है तो ये निष्चित ही चिंता का विषय हो जाता है । पूरी दुनिया में में कोरोनावायरस ने बीस लाख जानें ही ली है और कोहराम मचा हुआ है लेकिन मेरे देष में एक ही वर्ष में लगभग साढे पॉच लाख से ज्यादा और 6.77 लाख लड़कियों ने सन् 2005 में (सर्वाधिक) जन्म से पहले ही जीवन खो दिया क्योंकि वचे इरादतन हत्या का षिकार हुई और वह भी स्वयं के ही माता पिता द्वारा क्योंकि उनकी लिंग जॉच करवा उसके लड़की पता होने पर उसकी भ्रूणहत्या कर दी गई । एक समूह का सोचना है कि 1990 के बाद से औसतन पॉच लाख कन्या भ्रूण हत्या भारत में प्रतिवर्ष हो रही हैं । और चिन्ता की बात ये है कि किसी को भी कोई खास चिन्ता भी नहीं । मसला इतना अंतरंग है कि सरकारें, उनके सख्त फैसले और लुभावनी योजनाएॅ भी बहुत अधिक परिवर्तन लाने में असफल होती दिखाई पड़ रही है । कन्या भ्रूण हत्या, कुपोषण के चलते होने वाली मौतें या दहेज के कारण होने वाली हत्यायें, सभी मामले गहन रूप से पारिवारिक तथा सामाजिक रीतियों व

रूढियों के परिणाम हैं जहां किसी भी व्यवस्था की सीधी पहूॅच नही होती ।

चाहे नवरात्रि में कन्या भोज का चलन कितना भी पुराना हो और पूर्ण श्रद्धा से उसका समाज पालन भी कर रहा हो परंतु यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के ऑकडों के अनुसार भारत में 47 प्रतिषत लड़कियॉ जो कि 15–19 वर्ष के बीच की हैं कुपोषण का षिकार हैं और षर्मनाक बात ये है कि ये दुनिया में सर्वाधिक है । 43 प्रतिषत लडकियों का विवाह इस समयावधि में हो जाता है और इनमें से 22 प्रतिषत तो इस समय में मॉ भी बन जाती हैं । यही कारण है कि रिपोर्ट कहती है कि लगभग 6000 लड़कियॉ, 15–19 वर्ष के बीच की, प्रतिवर्ष प्रसव के दौरान ही मर जाती हैं । अधिकांष लड़कियॉ (इनमें से 56 प्रतिषत) खून की कमी के रोग से ग्रस्त हैं । ऐसे में वे प्रजनन तथा यौन रोगों के लिये सर्वाधिक असुरक्षित होती हैं

भारत में बालिकाओं की इन समस्याओं का कारण गरीबी होता तो विकास के साथ समस्याऍ स्वतः कम हो सकती थीं परंतु अफसोसजनक बात यह है कि षहरीकरण, षिंक्षा और समृद्धि ने कन्या भ्रूण हत्या को पूर्ण पोषण दिया है । इसका उदाहरण पंजाब (895), हरियाण (879) और महाराष्ट्र (929) में कम होता लिंगानुपात है जबकि तुलनात्मक रूप से पिछड़े राज्यों छत्तीसगढ (991) और उत्तराखण्ड (963) में ये कही बेहतर हैं ।

यह अत्यंत ही षोचनीय तथ्य है कि तथाकथित विकास बालिकाओं के लिए अभिषाप साबित हो रहा है । वित मंत्रालय का कहना है कि सन् 2014 तक भारत में 630 लाख लड़कियॉ गायब थीं अर्थात जन्म ही नहीं ले पाईं । और जिस तरह से ये प्रवृति बढ़ रही है (1991 में 0–6 वर्ष के आयु समूह मे 945 बालिकाये 1000 बालकों के मुकाबले थीं जो कि 2011 में घटकर 918 हो गईं ।) जनसंख्या विषेषज्ञ क्रिस्टोफ गुईमोटो के एक अध्ययन के अनुसार यदि यही प्रवृति बना रही तो संन् 2060 में 10 प्रतिषत से भी अधिक पुरूष 50 वर्ष तक की उम्र तक अवविाहित ही रह जायेंगे क्योंकि विवाह हेतु लड़कियों का अभाव होगा ।

अखिल भारतीय समाज में वे कौनसे ऐसे गहरे कारण हैं जो कि सारे विकास, षिक्षा या समृद्धि को भी बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाने में असफल रहे हैं,

भारतीय समाज मे पितृसत्तात्मक व्यवस्था एक ऐसा कारण है जो कि स्त्रियों को आर्थिक सत्ता से वंचित रखता है क्योंकि भारतीय समाज में नये कानूनों (जो कि कार्फी नये है) के उपरांत भीर समाज में पिता की संपत्ति का वारिस अभी भी पुत्र ही है और परिणामस्वरूप स्त्रियां सारी अर्थ सत्ता से अभी भी दूर है जो उसे सषक्त बनने से रोकती है 2011 के ऑकडों के अनुसार केवल 12.9 खेतिहर जमीन की मालिक महिलायें हैं जबकि कृषि श्रमिक षक्ति में उनका अंष 60 प्रतिषत है अर्थात समाज उनसे सेवा लेने में कोई संकोच नहीं करता परंतु उसे मालिकाना हक देने में अभी सामंती सोच रखता है ।

दहेज रूपी दानव एक ऐसी प्रथा है जिसने समाज को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा है और यह सारी षिक्षा और कानूनी प्रतिबंधों को नकार कर रक्तबीज की भॉति जिन्दा है । दहेज प्रथा की विडम्बना ने बालिकाओं के अस्तित्व को खतरे में डाला है । समाज में षिक्षा आधुनिक विकास के परिणमस्वरूप जो बदलाव आए हैं वे सभी बाहरी अधिक और आंतरिक अत्यंतही न्यून या नगण्य हैं । अभी भी र्योग्य वर के माता–पिता अपने पुत्र की कीमत वसूलने में कोई संकोच अनुभव नहीं करते क्योंकि समाज में उसके लिये निदा का भाव आम नहीं है । आज इक्कीसवीं सदी में भी भारत में लगभग बीस महिलायें दहेज के कारण प्रतिदिन मौत का षिकार होती हैं ।

लड़कियों को पराया धन समझने का भाव आज भी समाज में आम है और उसका परिणाम यह है कि उनका लालन पालन एक बोझ के रूप में देखा जाता है । पुत्र को खिलाया पिलाया काम आयेगा क्योंकि वह आजीवन परिवार का हिस्सा रहेगा जबकि लड़की पराये घर चली जायेगी । संतान के प्रति व्यापारिक सोच समाज की नसों में है । साथ ही सांस्कृतिक रूप से पुत्र स्वर्ग ले जाने की सीढ़ी भी माना जाता है अंतः बालिकाओं की दुर्दषा का कारण समाज की उक्त मान्यतायें भी हैं ।

लैंगिक भेदभाव के कारण भारत और चीन में लापता होती है लडकिंयां ।

लैगिंक आधार पर भेदभाव की वजह से (जन्म से पूर्व) लिंग चयन के कारण दुनियाभर में हर साल लापता होने वाली अनुमानित 12 लाख से 15 लाख बच्चियों में से 90 से 95 प्रतिषत चीन और भारत की होती है ।इनमें चीन का हिस्सा 50 प्रतिषत और भारत का 40 प्रतिषत है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष जन्म की संख्या के मामले मे भी ये दोनों देष सबसे आगे हैं ।

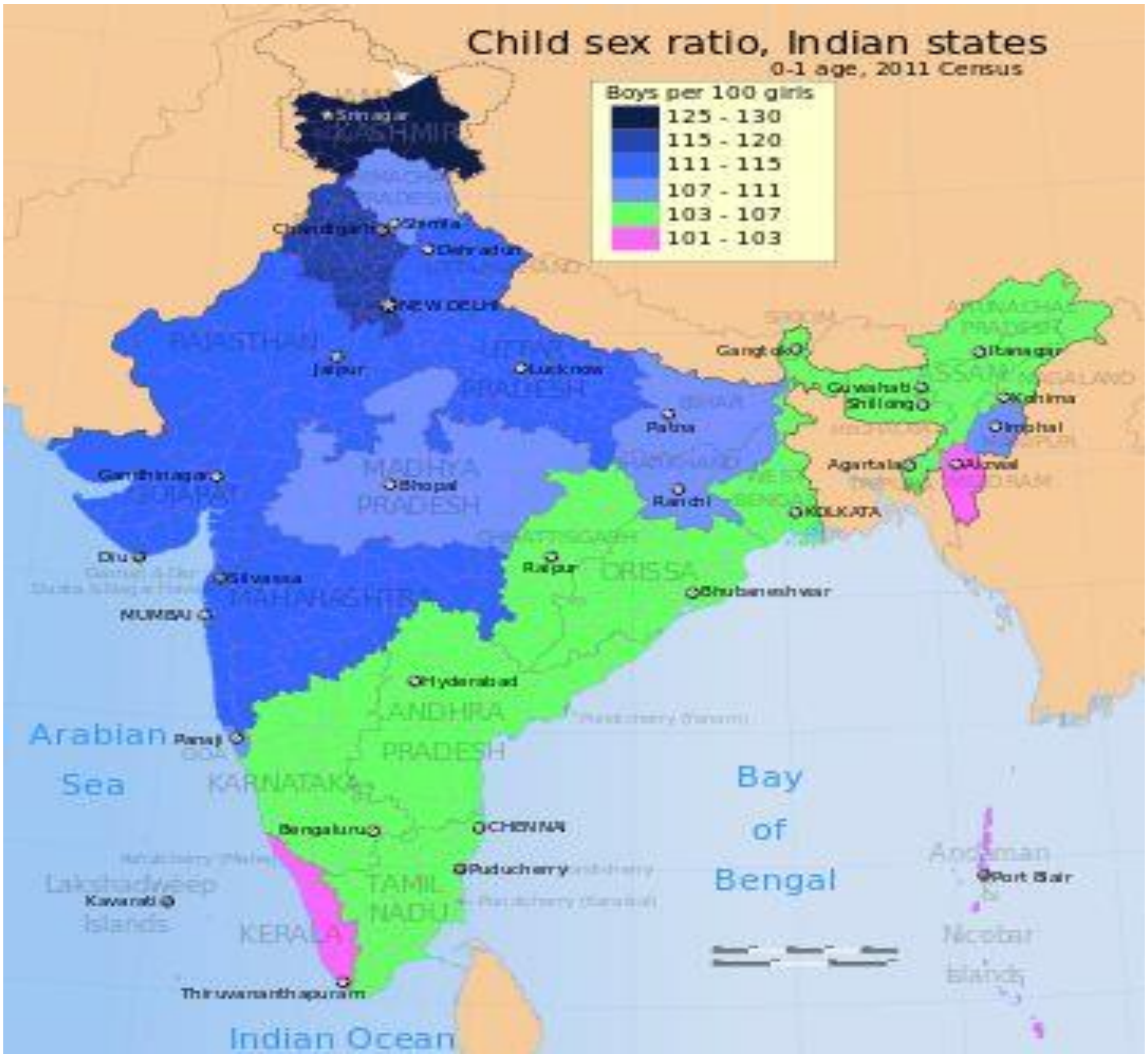

भारत के नौ राज्यों में तीन सालों तक 900से कम रहा लिंगानुपात रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की साल 2018 की जनसंख्या पंजीकरण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार साल 2016–18 के बीच देष का लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 899 लड़कियों का रहा है । हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के नौ राज्य हरियाणा, उत्तराखण्ड, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेष, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार में यह आंकडा 900 से कम रहा है ं हालांकि, इसके बाद सरकार ने जागरूकता अभियान चलाए है।

2055 में भारत की स्थिति हो सकती है गंभीर

भारत में 50 की उम्र तक एकल रहने वाले पुरूषों के अनुपात मे ंसाल 2050 के बाद 10 फीसदी तक वृद्वि का अनुमान जताया गया है। कुछ अध्ययनों में यह सुझाव ,दिया गया है कि भारत में संभावित दुल्हनों की तुलना में संभावित दूल्हों की संख्या बढने संबंधी स्थिति 2055 में सबसे खराब होगी ।

लोगों की सोच बदलने पर जोर देने की आवष्यकता

सरकारों ने लिंग चुननेके मूल कारण से निपटने के लिए कदम उठाए है। भारत ने लोगों की सोच बदलने के लिए मुहिम षुरू की है ।

विषेषज्ञों के अनुसार लड़कियो के बजाय लड़कों को प्राथमिकता देने के कारण कुछ देषों में महिलाओं और पुरूषों के अनुपात में बड़ा बदलाव आया है और इस जनसांख्यिकीय असंतुलन का विवाह प्रणालियों पर निष्चित ही असर पड़ेगा ।

गौरतलब है कि भारत में बेटों की चाहत में भ्रूण का लिंग पता लगाकर, गर्भपात कराने के चलन को रोकने के लिए 1994 में पीसीपीएनडीटी कानून लाया गया था । लेकिन सेंटर फॉर ग्लोबल हल्थ रिसर्च के मुताबिक भारत में पिछले 30 सालों कम से कम 40 लाख बच्चियों की भ्रूण हत्या की गई है। इस षोध में वर्ष 1991 से 2011 तक के जनगणना आंकड़ों को नेषनल फैमिली हैल्थ सर्वे के आंकडों के साथ जोडकर ये निष्कर्ष निकाले गए हैं ।

आसान नही पीसीपीएनडीटी कानून लागू करना

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की पूर्व कार्यकारी निदेषक षैलजा चंद्रा ने अपने एक पूर्व बयान मे कहा था कि भारत सरकार ने पीसीपीएनडीटी कानून पारित तो कई सालों पहले ही कर दिया लेकिन इसे लागू करना बेहद मुष्किल है ।

चन्द्रा के अनुसार कानून को लागू करने वाले जिला स्वास्थ्य अफसर के लिए लिंग जांच करने वाले डॉक्टर पर नकेल कसना आसान नहीं है क्योंकि डॉक्टरों के पास नवीनतम तकनीक उपलब्ध है । इस कानुन के सही क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों को ये बीड़ा उठाना होगा और इसे प्राथमिकता देनी होगी, तभी अफॅसर हरकत में आएंगे और डॉक्टरों को पकड़ने के तरीके निकालेंगे । महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुददों पर काम कर रही संस्था समा से जुडी आस्था के मुताबिक पिछले दस सालां के आंकड़ों को देखें तो ये साफ है कि हमारे देष में किसी एक पैमाने के आधार पर लिंग परीक्षण नहीं होता बल्कि सभी तरह के परिवारों में गर्भ में लिंग चुनाव करना आम हो गया है। फिर चाहें षिक्षा की दर, संपत्ति, जाति या समुदाय कुछ भी क्यों न हो ।

कम लिंगानुपात से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ेगे

इससे पहले भी गैर–सरकारी संगठन महिला उत्थान अध्ययन केन्द्र और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च ने एक सयुक्त प्रकाषन में चेतावनी दी थी कि यदि महिलाओं की संख्या यूँ ही घटती रही तो महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक घटनाऐं बढ़ जाएंगी ।

संगठनों के मुताबिक लड़कियों का विवाह के लिए अपहरण किा जाएगा, उनकी इज्जत पर हमले होंगे, उन्हें जबरदस्ती एक से अधिक पुरूषों की पत्नी बनने पर मजबूर भी किया जा सकता है ।

जनसंख्या नियंत्रण अभियान भी गर्भपात का कारण है

महिला उत्थान के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संगठन प्रोटेक्षन फॉर वूमेन की ऋृचा सिंह का कहना है कि जिस स्त्री के लिए महिला आंदोलन चलाए गए, आज उसके षिक्षित होने के बाद भी आज महिलाओं की सख्या घट रही है ।

ऋृचा के अनुसार, लड़कियों की संख्या तेजी से घटने काएक खास कारण यह भी माना जाता है कि भारत सरकार के जनसंख्या नियंत्रण अभियान में खामियॉं रही हैं और इसमें जबरदस्ती का पहलू भी षामिल किया गया है । आंध्र प्रदेष, राजस्थान और मध्य प्रदेष जैसे कुछ राज्यों में सरकार ने दो से अधिक बच्चे रखने वाले माता–पिता को कुछ अधिकारों से वंचित करने की नीति अपनाई गई है ।

जैसे तीन बच्चो की मॉं को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो उसे प्रसव के लिए अवकाष नहीं दिया जाता । तीसरे बच्चे को मुफ्त षिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान नही की जातीं । ऋृचा के मानना है कि बेषक इस नीति से जनसंख्या नियंत्रण हो जाए लेकिन ये नीति उस माता–पिता को मजबूर कर देती है कि किसी भी तरीके से तीसरा बच्चा पैदा ना हो । यदि उनकी चाह दो बच्चों में से कम से कम एक लड़का है तो दूसरी बार लड़की के गर्भधारण पर अवष्य ही गर्भपात करा दिया जाता है ।

कुछ विषेषज्ञ बढती महंगाई को भी बालिकाओं की दुर्दषा का एक कारण मानते हैं क्योंकि जैसे–तैसे रहन सहन व षिक्षा महँगी होती गई है वैसे–वैसे लड़कियों की चाह परिवारों में कम होती गई है ।

अमर्त्य सेन कहते है जिस भी समाज में हिंसा या अषांति बढ़ती है वहीं पुत्र की चाह एक पारिस्थितिक आवष्यकता बनती जाती है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि पंजाब, हरियाणा, बिहार और जम्मू कष्मीर में लिंग अनुपात तेजी से घटता गया । अंतः' स्त्रियों की दषा सुधारने हेतु विकास के साथ समाज में राजनैतिक षांति व हिंसा की कमी होना भी आवष्यक है ।

रेफ्रेंस

1. अग्रवाल और गुप्ता (2005) डिस्क्रिमिनेषन प्रॉम कन्सेप्षन ख्टू चाइल्डहुडः एक स्टडी आफ गर्ल चाइल्ड इन रूरल हरियाण, इंडिया ड्राफ्ट पेपर 2005, चच 3.27
2. अग्रिहोत्री, एस (1996) जुवेनाइल संक्स रेषो इन इंडिया, ऐ डिसएग्रिगेटेड एनालिसिस, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकल, वॉल्यूम 31, नंबर 52 पेज 3396–3382
3. 3.अग्निहोत्री सतीष बी (2002) चेंजेज इन सेंक्स रेषों उड़ीसाः 1991–2001 इन देयर एन एपि'सेंटर आफ फीमेल डेफिसिट ?

डेमोग्रेफी इंडिया, वॉल्यूम 31, नंबर 2 पेज 179—194)

4. एनोनिमस सेक्स सिलेक्षन इन चाइना एंड इंडिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स,वॉल्यूम 9 नंबर 18, (2001)

5. अमोल्ड, फ्रेड, मिंजा किम चो, एंड टी के राय (1998), सनप्रेफ्रेंस फैमिली बिल्डिंग प्रोसेस एंड चाइल्ड मॉटिल्टी इन इंडिया, पॉपुलेषन स्टडीज, वॉल्यूम 52

6. अमोल्उ, फ्रेड, सुनिता किषोर एंड टी के रॉय (2001),सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्षन्स इन इंडिया, पॉपुलेषन एंड डवलेपमेंट रिव्यू, 28 (4)

7. बसु, अलाका मालवाडे, (1999) फर्टिलिटी डिक्लाइन एंड इन्केरीजिंग जेन्डर इम्बैलेंस इन इंडिया, इन्क्लूडिग ए पॉसिबल साउथ इंडिया टरेनअराउंड, डेवलपमेंट एंड चेंज,वॉल्यूम 30

8. बार्धन पी (1982) लिटिल गर्ल्स डेथ इन इंडिया, इकनॉमिक एंड पॉलिकिल वीकली,पेज 1148—1150

9. 9. अशोक कुमार (1995) डिक्लाइन सेक्स रेषो इन इंडिया, पेज 19—30 इन विमेन पॉवर इन इंडिया/संपादित मुक्ता मित्तल, नई दिल्ली

Copyright © 2016, Dr Sunita Palawat. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.